भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या – 1636**

(जिसका उत्तर मंगलवार, 4 अगस्त, 2015 को दिया गया)

**<u>वाहन निर्माताओं के विरूद्ध अनुचित व्यापार पद्धतियों के आरोप को अस्वीकार किया जाना</u>**

**1636. श्री मोहम्मद अली खान :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) ने 18 वाहन कंपनियों के विरूद्ध उनके डीलरशिप समझौतों में प्रस्तुत शर्तों के संबंध में अनुचित व्यापार पद्धतियों के आरोपों को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)**

**(क) और (ख):** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 18 वाहन निर्माताओं के विरूद्ध एक मामले में (2015 का सं. 20 श्री के राजाराजन बनाम महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि. और अन्य) वाहन निर्माताओं और प्राधिकृत डीलरों के बीच हुए डीलरशिप समझौते के पूरी तरह एकतरफा एवं वाहन निर्माताओं के पक्ष में होने संबंधी मामले पर विचार किया गया था। इस आयोग ने दिनांक 30.06.2015 को एक आदेश जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों से संबंधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तथा न ही विरोधी पक्षकारों के विरूद्ध प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग हुआ है।

*****